

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 266

प्रकरण सं.:-
दिनांक:- 01.10.2025

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नेहरो जीवानी व मू.अ.
नि. रतडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सारणा का सरा
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 56
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>सारणा का सरा</u>	<u>56</u>	<u>469/210</u>	<u>खनाराभ 510 हुकमाराभ</u>	<u>वनाराभ 510 हुकमाराभ</u>

समदरसिंह भाटी
(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 01.10.2025

क्रमांक:- सम./2025/ 267-60

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी वनाराभ/हुकमाराभ तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



समदरसिंह भाटी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी